संख्या-32/2018/586/26-3-2018-8(विविध)/2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी-2018

विषयः-वर्ष 2017-18 हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, बोझिया-बहराईच के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-362/65/ज.जा.वि.2017-18, दिनांक-11.01.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2225-02-796-01-0104-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि के सापेक्ष एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, बोझिया-बहराईच के संचालन हेतु रूपया-17.64 लाख (रूपया सत्रह लाख चौसठ हजार मात्र) धनराशि को संलग्न विवरण के अनुसार राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि 'उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं विकास समिति' के नाम लखनऊ के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खातें में जमा की जायेगी।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- व्यय की गयी धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्रछात्राओं को ही दिया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु (के.100/रा.0-के.)20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ.संख्या-32/2018/586(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या–32/2018/586/26–3–2018–8(विविध)/2017, दिनांक–22 फरवरी, 2018

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बोझिया–बहराइच के संचालन हेतु वर्ष 2017–18 की विभिन्न मदों में वित्तीय स्वीकृति का विवरण

(रू0 लाख में)

क्र.स.	मद का नाम	2016–17 का अवशेष बजट	2017–18 हेतु वांछित बजट	2016–17 के अवशेष बजट को घटाते हुए 2017–18 हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	वेतन	0.00	0	0.00
2	कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय	0.00	0.50	0.50
3	भोजन व्यवस्था पर व्यय (2250 प्रति छात्र प्रति माह की दर से 9 माह)	0.00	6.07	6.07
	शीत अवकाश में कक्षा 10 व 12 की भोजन व्यवस्था पर व्यय (20 दिन हेतु) 00.00 लाख में			
4	पाठ्य पुस्तकें	0.00	0.12	0.12
	6 से 8 (400 रु. प्रति छात्र) रू0 00.00 लाख			
	9 से 10 (900 रु. प्रति छात्र) रू0 00.00 लाख			
	11 से 12 (1500 रु. प्रति छात्र) रू0 00.00 लाख			
5	यूनीफार्म पर व्यय (2500 रु. प्रति छात्र)	0.00	0.75	0.75
6	दैनिक प्रयोगार्थ सामग्री (1000 रु. प्रति छात्र)	0.00	0.30	0.30
7	अन्य विविध व्यय	0.08	0.50	0.42
	1. चिकित्सा व्यय (30 रु. प्रति छात्र प्रति माह की दर से)रू0 0.08 लाख			
	2. स्टेशनरी पर व्यय (100 रु. प्रति छात्र प्रति माह की दर से) रू0 0.27 लाख			
	3. स्कूल बैग (300 रु. प्रति छात्र प्रति वर्ष कक्षा 6 व 9) रू0 0.00 लाख			
	4. अंशकालिक चिकित्सा फीस (5000 रु. प्रति माह) रू0 00.00 लाख			
	5. सी.बी.एस.सी. बोर्ड फीस, रजि. फीस रू0 0.00 लाख			
	6. 30 छात्रों हेतु यात्रा (20 रु. प्रति छात्र प्रति माह की दर से) रू0 0 .05 लाख			
	7. छात्राओं की हाइजिनिक व्यवस्था हेतु (60 रु.प्रति छात्रा प्रति माह)रू0 0.08 लाख			
8	प्रयोगशाला हेतु उपकरण (विज्ञान तथा कम्प्यूटर)	0.00	0.00	0.00
9	बिस्तर की व्यवस्था (600 रु. प्रति छात्र)	0.00	0.00	0.00
10	नवीन छात्रावास में छात्रों की बेड व्यवस्था हेतु	0.00	0.00	0.00
11	बर्तनों की व्यवस्था	0.00	0.00	0.00
12	किचन में गैस प्लान्ट की व्यवस्था	0	0.00	0.00
13	पुस्तकालय की व्यवस्था	0.00	0.00	0.00
14	जनरेटर की व्यवस्था	0	0.00	0.00
15	बिजली उपकरण एवं बिजली बिलों का भुगतान पर व्यय	0	0.00	0.00
16	अनुरक्षण (पुताई प्रशासनिक, छात्रावास, मेश एवम् आवास एवम् अन्य मरम्मत कार्य)	0	0.00	0.00
		0.08	**8.24**	**8.16**

शिक्षा सत्र/वित्तीय सत्र 2017–18 हेतु (30 छात्र–छात्रा) अन्य आवश्यकताओं हेतु बजट प्रस्ताव (लाख में)

क्र.स.	मद का नाम	समान्य संचालन 2017–18 हेतु वांछित बजट
1	2	3
1	तख्त की व्यवस्था (बेड ऐंगल बेस एवम् प्लाई सहित 6400 रु. प्रति बेड) 30 नग	1.92
2	पठन पाठन हेतु कुर्सी मेज सेट (5800 प्रति सेट) 30 नग	1.74

shiv finencial 2017-18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

3	मेज कुर्सी सेट अध्यापक हेतु (7000 प्रति सेट) 2 सेट	0.14
4	भोजन व्यवस्था हेतु फर्नीचर (10000 प्रति सेट मेज स्टील टाप डबल सीट की) 15 नग	1.50
5	किचन में गैस प्लान्ट की व्यवस्था	2.00
6	प्रधानाचार्य कक्ष हेतु फर्नीचर	0.40
7	आफिस/स्टाफ रुम हेतु फर्नीचर (मेज, कुर्सी, अलमारी, स्टाफ अलमारी)	0.75
8	विद्युत व्यवस्था हेतु जनरेटर की व्यवस्था	1.03
	योग–	9.48
	कुल योग–	17.64

(रू0 सत्रह लाख चौसठ हजार मात्र)

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव।

shiv finencial 2017-18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।